

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

कमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (994)/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्री अशोक कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बानसूर (अलवर) जिनकी जन्मतिथि दिनांक 22.06.1958 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2018 को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

कमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (994)/2017/317

दिनांक:- 20/7/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को उनके पत्र कमांक 1250 दिनांक 08.06.17 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नोड्यूज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
4. ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बानसूर (अलवर) ।
4. श्री अशोक कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।